



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127785

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत प्रार्थना पत्र संख्या - 19425 सन् 2026

आदिलआवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : चंदन सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : आशीष कुमार, जी.ए., गिरीश सिंह

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री चंदन सिंह, दूसरे पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष कुमार सिंह और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनी गईं।
- यह ज़मानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 132/2026 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 118, 109(1), 352, 351(3), 126(2) बी.एन.एस., 2023 के तहत पुलिस स्टेशन अकराबाद, ज़िला अलीगढ़ में आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फँसाया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि 11 नामज़द और 15-20 अज्ञात लोगों पर घायल व्यक्ति को चोट पहुँचाने की सामान्य भूमिका का आरोप लगाया गया है। एफआईआर में किसी खास हथियार या भूमिका का ज़िक्र नहीं है; आरोप है कि आरोपी चाकू, तलवार और बाँस की लाठियों से लैस थे और इस घटना में पाँच लोग घायल हुए थे। घायल जितेंद्र कुमार को लगी चोट संख्या 1 गर्दन के बाईं ओर एक कटा-फटा ज़ख्म था, लेकिन उन्होंने यह साफ़ नहीं

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया कि यह चोट किसने पहुँचाई थी। एफआईआर में आरोप है कि आवेदक ने अपनी देसी पिस्तौल से गोली चलाई, लेकिन किसी भी घायल व्यक्ति को गोली लगने से चोट नहीं आई। मेडिकल परीक्षण चश्मदीनों के बयान से मेल नहीं खाती है। कई अन्य सह-आरोपियों, जैसे पप्पू खान, सोहेल, सैफ, भूरा, शकील अहमद और इसरार को परीक्षण न्यायालय से ज़मानत मिल चुकी है। आवेदक का मामला भी इन्हीं सह-आरोपियों जैसा ही है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि आवेदक 06.05.2026 से जेल में बंद है और अगर उसे ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और परीक्षण में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की ज़मानत की प्रार्थना पत्र का विरोध किया और कहा कि अपराध में आवेदक की भागीदारी के बारे में उसके खिलाफ़ पर्याप्त साक्ष्य हैं, इसलिए वह ज़मानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

5. पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्यों, आवेदक द्वारा जेल में बिताई गई अवधि, किसी आपराधिक इतिहास के न होने पर विचार करने के बाद, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने ज़मानत दिए जाने के लिए मामला बनाया है।

6. तदनुसार, ज़मानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

7. आवेदक - **आदिल**, जो उक्त आपराधिक मामले में शामिल है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बॉन्ड और उतनी ही राशि का दो ज़मानतदार पेश करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन ज़मानत पर रिहा किया जाए। साथ ही, रिहाई का आदेश जारी करने से पहले ज़मानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों और साक्ष्य पेश करने की तारीख तय हो, तो वह सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। यदि इस शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो परीक्षण न्यायालय इसे ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और विधि के अनुसार आदेश दे सकता है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक को तय तारीखों पर परीक्षण न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के ज़रिए मौजूद रहना होगा। यदि वह बिना किसी ठोस कारण के गैर-हाज़िर रहता है, तो परीक्षण न्यायालय उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 229-ए/ बी.एन.एस. की धारा 269 के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक परीक्षण के दौरान ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 82/ बी.एन.एस. की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, तो परीक्षण न्यायालय विधि के अनुसार आईपीसी की धारा 174-ए/ बी.एन.एस. की धारा 209 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को इन तारीखों पर परीक्षण न्यायालय में स्वयं मौजूद रहना होगा: (1) मुकदमे की शुरुआत, (2) आरोप तय करना, और (3) सीआरपीसी की धारा 313/ बी.एन.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करना। यदि परीक्षण न्यायालय को लगता है कि आवेदक जानबूझकर या बिना किसी ठोस कारण के गैर-हाज़िर रहा है, तो न्यायालय इस उल्लंघन को ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और विधि के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

8. ऊपर दी गई शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर ज़मानत रद्द की जा सकती है।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देते समय की गई टिप्पणियाँ, गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान परीक्षण न्यायाधीश को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

17 जून, 2026

नितेंद्र

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।